भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 39

दिनांक 19.11.2019/28 **कार्तिक**, 1941 (**शक**) **को उत्तर के लिए**

महिलाओं और अवयस्क बालिकाओं के विरुद्ध अपराध

†*39. **श्री भर्तृहरि महताबः**
श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(**क**) **क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में महिलाओं और अवयस्क बालिकाओं के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं**;

(**ख**) **यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बलात्कार/सामूहिक बलात्कार, तेजाब के हमले, हत्या, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के कितने मामले रिपोर्ट किए गए**;

(**ग**) **क्या देश में ऐसे पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' की स्थापना की है/स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो उक्त केन्द्रों में ऐसे पीड़ितों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है**;

(**घ**) **देश में काम कर रहे ऐसे केन्द्रों की संख्या कितनी है और इन केन्द्रों के प्रारंभ होने के बाद से इन केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की गई महिला पीड़ितों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है**; **और**

(**ङ**) **इस दिशा में सरकार द्वारा अन्य कौन-से कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे है**?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में अपराधों से संबंधित सूचना संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2017 तक उपलब्ध हैं। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब से हमला, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने और महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने इत्यादि शीर्षों के तहत महिलाओं (अवयस्क बालिकाओं सहित) के प्रति अपराधों का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है। आंकड़े इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते हैं।

(ग) और (घ): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) स्कीम को दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श/न्यायालयी मामले प्रबंधन, मनो-सामाजिक परामर्श तथा हिंसा में प्रभावित महिलाओं को अस्थायी निवास जैसी समेकित सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 728 ओएससी अनुमोदित किए गए हैं, देश में 595 ओएससी संचालन में हैं और इन केंद्रों द्वारा 2.27 लाख महिलाओं को मदद प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरे **अनुलग्नक-।।** में दिए गए हैं।

(ड.): सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों को रोकने तथा उनकी त्वरित जांच के लिए कई अन्य पहलें भी की हैं, जो कि निम्नानुसार हैं :

i. यौन अपराधों के प्रभावशाली निवारण के लिए, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और अधिक कठोर दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने हेतु दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम में, अन्य बातों के साथ-साथ, जांच और विचारण प्रत्येक को 2 महीनों के अंदर पूरा करने का भी अधिदेश दिया गया है।

ii. आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली सभी आपात स्थितियों के लिए पूरे भारत में, एकल, अंतर्राष्ट्रीय मान्य नम्बर (112) आधारित प्रणाली प्रदान करती है, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से क्षेत्रीय संसाधनों को संकट के स्थान तक पहुंचाने का प्रावधान है।

iii. स्मार्ट पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता पहुंचाने की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, पहले चरण में 8 शहरों (अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुम्बई) में सुरक्षित शहर परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

iv. गृह मंत्रालय ने अश्लील सामग्री की सूचना देने के लिए नागरिकों हेतु दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को साइबर-अपराध पोर्टल शुरू किया है।

v. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच करने और उनका पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को "यौन अपराधियों संबंधी राष्ट्रीय डाटाबेस" (एनडीएसओ) शुरू किया है।

vi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए, गृह मंत्रालय ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन हमले से संबंधित मामलों की समयबद्ध जांच की निगरानी करने और उसका पता लगाने के लिए दिनांक 19 फरवरी, 2019 को पुलिस के लिए "यौन अपराध जांच ट्रैकिंग प्रणाली" नामक एक ऑनलाइन विश्लेषणात्मक टूल शुरू किया है।

vii. जांच में सुधार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय और राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इसमें केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण इकाई की स्थापना करना शामिल है। गृह मंत्रालय ने 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्लेषण इकाइयों की स्थापना और उनके स्तरोन्नयन करने की भी मंजूरी प्रदान की है।

viii. गृह मंत्रालय ने यौन हमले के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण और यौन हमले संबंधी साक्ष्य संग्रहण किट की मानक संरचना के संबंध में दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता को बढ़ाने के लिए जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन संबंधी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) और लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधिविज्ञान संस्थान द्वारा फॉरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण, रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन में 6023 अधिकारियों को पहले ही प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है। बीपीआरएंडडी ने प्रशिक्षण के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अभिविन्यास किट के रूप में 3,120 यौन हमला साक्ष्य संग्रहण किट वितरित किए हैं।

ix. उपर्युक्त उपायों के अलावा, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने की दृष्टि से समय-समय पर एडवाइजरी जारी की हैं, जो कि www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

******

लो.स.ता.प्र.सं.39

अनुलग्नक-I

बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब से हमले, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने और महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के तहत वर्ष 2015-2017 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015					2016					2017				
		बलात्कार	सामूहिक बलात्कार	तेजाब से हमला	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला	महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना	बलात्कार	सामूहिक बलात्कार	तेजाब से हमला	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला	महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना	बलात्कार	सामूहिक बलात्कार	तेजाब से हमला	महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला	महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाना
1	आंध्र प्रदेश	1027	24	11	4616	2200	994	15	3	4829	1831	988	19	2	5129	1998
2	अरुणाचल प्रदेश	71	4	0	101	2	92	2	0	109	10	59	1	0	97	5
3	असम	1733	21	1	4293	111	1779	31	8	3378	34	1772	14	3	3569	108
4	बिहार	1041	15	5	198	96	1008	8	2	324	167	605	17	4	197	1
5	छत्तीसगढ़	1560	57	0	1868	53	1626	54	0	1770	101	1908	45	0	1899	144
6	गोवा	86	2	0	150	34	61	0	1	143	32	76	0	0	134	31
7	गुजरात	503	6	3	1164	73	982	15	6	1224	59	477	9	4	1058	17
8	हरियाणा	1070	204	3	1886	90	1187	191	8	1860	124	1099	159	4	2031	179
9	हिमाचल प्रदेश	244	8	1	434	58	252	4	0	410	49	249	8	2	397	52
10	जम्मू और कश्मीर*	296	0	0	1343	175	256	1	0	1235	153	296	0	1	1417	41
11	झारखंड	1053	65	0	844	10	1109	77	0	667	13	914	40	0	748	104
12	कर्नाटक	589	21	1	5112	154	1655	20	2	5260	160	546	6	2	5763	212
13	केरल	1256	12	5	3987	267	1656	19	9	4029	328	2003	15	9	4413	421
14	मध्य प्रदेश	4391	270	5	8049	390	4882	226	4	8717	358	5562	221	5	9252	277
15	महाराष्ट्र	4144	141	6	11713	1119	4189	96	2	11396	924	1933	57	2	9392	919
16	मणिपुर	46	0	0	84	2	55	0	0	65	5	40	0	1	66	8
17	मेघालय	93	5	0	95	20	190	2	0	68	17	119	3	0	88	21
18	मिजोरम	58	4	0	75	2	23	2	0	71	1	25	4	0	64	2
19	नागालैंड	35	0	0	8	9	26	1	0	14	8	10	0	0	12	0

20	ओडिशा	2251	103	5	6499	472	1983	84	12	8252	437	2070	10	11	9132	490
21	पंजाब	886	27	2	1123	27	838	30	5	1025	10	530	25	4	933	22
22	राजस्थान	3644	411	0	4813	9	3656	365	2	4839	15	3305	330	3	4883	24
23	सिक्किम	5	0	0	21	2	92	0	0	34	11	17	0	0	21	7
24	तमिलनाडु	421	4	7	1163	20	319	3	1	854	27	283	1	3	744	9
25	तेलंगाना	1105	26	1	3608	1288	1278	15	0	3767	1003	552	9	1	4409	1160
26	त्रिपुरा	213	10	0	352	6	207	4	1	214	1	95	7	0	225	9
27	उत्तर प्रदेश	3025	462	51	7885	11	4816	684	44	11335	35	4246	676	41	12607	91
28	उत्तराखंड	283	9	0	318	12	336	2	0	344	3	374	9	3	435	4
29	पश्चिम बंगाल	1199	109	20	5069	455	1110	130	40	4177	449	1084	109	35	3832	448
	कुल (राज्य)	32328	2020	127	76871	7167	36657	2081	150	80410	6365	31237	1794	140	82947	6804
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	36	1	0	57	5	30	0	0	46	2	13	0	0	38	11
31	चंडीगढ़	72	4	0	76	10	68	3	0	76	13	65	7	0	100	12
32	दादरा और नगर हवेली	8	0	0	5	0	14	0	0	1	1	1	0	0	3	0
33	दमन और दीव	5	0	0	7	0	12	1	0	4	2	7	0	0	6	1
34	दिल्ली	2199	92	13	5367	1492	2155	85	10	4165	918	1229	73	8	2874	619
35	लक्षद्वीप	0	0	0	6	1	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	3	0	0	33	10	6	0	0	43	3	7	0	0	33	4
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	2323	97	13	5551	1518	2290	89	10	4336	940	1322	80	8	3054	647
	कुल (अखिल भारत)	34651	2117	140	82422	8685	38947	2170	160	84746	7305	32559	1874	148	86001	7451

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: महिलाओं की हत्या संबंधी आंकड़े ब्यूरो द्वारा एकत्र नहीं किए गए हैं।
जम्मू और कश्मीर* (अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र)

अनुलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **अभी तक स्थापित किए गए वन स्टॉप केंद्रों की संख्या तथा उन पीड़ित महिलाओं की संख्या, जिन्हें सहायता उपलब्ध करायी गई है**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संस्वीकृत ओएससी	कार्य कर रहे ओएससी की संख्या	उन पीड़ित महिलाओं की संख्या, जिन्हें सहायता उपलब्ध करायी गई
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ राज्य क्षेत्र)	3	3	1243
2.	आंध्र प्रदेश	14	13	1450
3.	अरुणाचल प्रदेश	25	13	243
4.	असम	33	31	1511
5.	बिहार	38	38	5873
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1	1	482
7.	छत्तीसगढ़	27	27	16801
8.	दादरा और नगर हवेली (संघ राज्य क्षेत्र)	1	1	104
9.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	2	1	52
10.	गोवा	2	1	1096
11.	गुजरात	33	27	4641
12.	हरियाणा	22	18	4676
13.	हिमाचल प्रदेश	12	12	161
14.	जम्मू और कश्मीर*	20	7	1542
15.	झारखंड	24	24	384
16.	कर्नाटक	30	30	2025
17.	केरल	14	5	893
18.	लद्दाख* (संघ राज्य क्षेत्र)	2	1	15
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	1	0	0
20.	मध्य प्रदेश	51	51	13684
21.	महाराष्ट्र	37	36	5239
22.	मणिपुर	16	1	26
23.	मेघालय	11	11	146
24.	मिजोरम	8	8	124
25.	नागालैंड	11	11	258
26.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	11	0	0
27.	ओडिशा	30	30	1859
28.	पुदुचेरी	4	1	190
29.	पंजाब	22	22	1944
30.	राजस्थान	33	21	3736
31.	सिक्किम	4	1	199
32.	तमिलनाडु	34	32	1988
33.	तेलंगाना	33	25	8335
34.	त्रिपुरा	8	4	93
35.	उत्तर प्रदेश	75	75	110431
36.	उत्तराखंड	13	13	520
37.	पश्चिम बंगाल	23	0	0
	कुल	728	595	227641

जम्मू और कश्मीर* (अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र)